आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल
बन्दोबस्ती सम्पुष्टि वाद सं0– 26/2011–12
आवेदिका– दिनेश मंडल
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– बांसकोला
आदेश

·8·19 आवेदक दिनेश मंडल, पिता– स्व0 पंचु मंडल, सा0– बांसकोला, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दाखिल कर मौजा बांसकोला के जमाबंदी नं0– 91, दाग नं0– 14, रकबा 02 कट्ठा जमीन पर बन्दोबस्ती सम्पुष्ट करने हेतु अनुरोध किया है। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों से अनापत्ति की मांग की गयी।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकबा
बांसकोला	91	14	18 कट्ठा जमीन का अंश रकबा 02 कट्ठा

नोटिस तामिला प्राप्त। मौजा बांसकोला के 16 आना रैयतो द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रकार का आपत्ति दर्ज नही की गयी है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा बांसकोला, जमाबंदी नं0– 91, दाग नं0– 14 का कुल रकबा 18 कट्ठा जमीन खास पतीत है अर्थात झारखंड सरकार की जमीन है। आवेदक का मकान आज से करीब 40 वर्ष पूर्व गंगा नदी के गर्भ में सिमट चुका था, तब से आवेदक मौजा बांसकोला के जमाबंदी नं0– 91, दाग नं0– 14, रकबा 18 कट्ठा जमीन पर विगत् 40 वर्षो से अपना घर बनाकर सपरिवार शांतिपूर्वक भोग दखल करते आ रहे हैं। आवेदक भूमिहीन है तथा आवेदक के पास कोई और दूसरा जमीन नही है। सिर्फ झारखण्ड सरकार के जमीन पर घर बनाकर निवास कर रहे हैं। आवेदक उक्त वर्णित जमीन पर विगत 40 वर्षो से सरकारी खास जमीन पर रहने के कारण गरीबी और भूमिहीन के वजह से मौजा के प्रधान दासो मरांडी ने आवेदक के पक्ष में प्रधानी पट्टा निर्गत किये है। आवेदक उक्त स्थान का स्थायी बसोवासी है। आवेदक को उक्त प्रखंड से बी0पी0एल0 कार्ड एवं पहचान पत्र भी निर्गत किया गया है और आवेदक उक्त विधानसभा एवं लोकसभा में वोट भी देते आ रहे हैं। आवेदक को न्यायालय द्वारा न तो पट्टा निर्गत किया गया है और न ही पर्चा। जिसके कारण आवेदक के बाल–बच्चों का भविष्य अंधकार में डुबा हुआ है। अतएव आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर आवेदक के नाम से बन्दोबस्ती सम्पुष्ट कर पट्टा निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 111/रा० दिनांक 15.03.2012 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा बासकोला नं०– 08, जमाबंदी नं०– 91, दाग नं०– 14, रकबा 18 कट्ठा 15 धूर जमीन सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास किस्म परती कदीम अंकित है। जिसमें अंश रकबा 0.02 डिसमिल जमीन आवेदक दिनेश मंडल कब्जा कर बसोबास हेतु घर बनाकर निवास कर रहे हैं। मौजा के 16 आना रैयतों एवं ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि आवेदक दिनेश मंडल के नाम से बसोबास के लिए प्रधानी पट्टा दिया गया है। वे एक गरीब एवं मजदूर व्यक्ति है एवं पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा प्राप्त किया गया प्रधानी पट्टा अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में जमा है। आवेदक अपने नाम से प्राप्त प्रधानी पट्टा को सम्पुष्ट कराकर एवं सरकार से बन्दोबस्ती लेकर जमीन का लगान देना चाहते हैं। आवेदक के द्वारा दखल किये गये भूमी रकबा 0.02 डिसमिल का लगान 100/– रू० प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 02.00 रू० होता है। जो आवेदक द्वारा शेषों के साथ वर्ष 1954–55 से देय होगा। आवेदक के दखल की गई जमीन को ट्रेस नक्शा में लाल रंग के सांकेत A से दिखाया गया है तथा चेक स्लीप एवं रेन्ट रौल चार–चार प्रति में तैयार किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, तालझारी द्वारा वर्णित जमीन पर बन्दोबस्ती कर लगान निर्धारण करने की अनुशंसा की गयी है॥

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के अनुशंसा के आलोक में राजस्व की वृद्धि को ध्यान में रखकर तथा मौजा के 16 आना रैयतों से आपत्ति के अभाव में आवेदक दिनेश मंडल, पिता– स्व० पचु मंडल, सा०– बासकोला, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज के नाम से बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी जाती है तथा आवेदित भूमि का लगान 100/– (एक सौ) रू० प्रति एकड़ की दर से रकबा 02 कट्ठा भूमि का लगान 02/– रू० अलावे शेष निर्धारित किया जाता है, जो वर्ष 1954–55 से देय होगा। उक्त भूमि अहस्तान्तरणीय होगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें॥

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner